पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 31/5/18 को प्रस्तुत हो

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 अभियान ग्राम पंचायत 72 G.B. में आयोजित होने के कारण पेशी में ली गई। सम्बन्धित पक्षकारान को वास्ते तलबी नोटिस/ सम्मन जारी होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 31/5/18 पेश हो।

31.5.18

पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प 72 GB में प्रस्तुत हुई। तामिला कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार वादी की मृत्यु हो चुकी है। मजमे आम कैम्प में जानकारी लिए जाने पर यह तथ्य सामने आये कि वादी की लगभग 3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्तानुसार वादी की मृत्यु होने के उपरान्त विधिक वारिसान की ओर से पक्षकार बनने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर वादी का वादपत्र परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 120 के तहत निश्चित समय सीमा में वादी की मृत्यु उपरान्त विधिक वारिसान द्वारा प्रपंजात नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

निर्णय मजमें आम सुनाया जाकर लिखाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

31/5/18

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़
कैम्प- 72 GB